

BHS-14

8.

GREATER
NOIDA
CITY
Planned with an essence

**ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
द्वारा प्रस्तुत
आवासीय योजना**

ग्रेटर नौएडा में विभिन्न आधारभूत एवं सामुदायिक सुविधाओं सहित 35.96 वर्गमीटर (सुपर एरिया) के पूर्ण विकसित एवं निर्मित चार मंजिले भवनों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है।

महत्वपूर्ण तिथियां

योजना प्रारम्भ की तिथि 15.01.2011

योजना समापन की तिथि 15.02.2011

ड्रा की सम्भावित तिथि जून, 2011



प्रस्तावित पूर्ण विकसित प्लैटों के लिये आवंटन की नियम व शर्तें

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण आवासीय सेक्टर जू-III में प्रस्तावित एवं सभी मूलभूत सुविधाओं सहित सुपर एरिया 35.96 वर्गमीटर के पूर्ण विकसित चार मंजिले भवनों के तलों पर प्लैट आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

ए— योजना विवरण

ए1— योजना का नाम/कोड: बी.एच.एस.-14/11

ए2— योजना विवरण

क्र. सं.	सेक्टर का नाम	प्लैटों की संख्या (अनुमानित)	सुपर एरिया (वर्गमीटर में)	प्लैट की अनुमानित कीमत (रूपये में)		पंजीकरण घनराशि (प्रत्येक तल) (रूपये में)
				प्रथम/द्वितीय/तृतीय तल	मूलत	
1.	XU-III	700	35.96	6,90,000/-	7,06,000/-	69,000/-

आवंटन के समय प्लैटों की संख्या बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है।

50 प्रतिशत प्लैट सामान्य श्रेणियों के लिए होंगे तथा अवशेष 50 प्रतिशत प्लैट निम्नलिखित श्रेणियों हेतु आरक्षित होंगे।

बी. आरक्षित श्रेणियाँ

क्र.सं.	आरक्षित श्रेणी	आरक्षण का प्रतिशत
1.	ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखण्डों पर क्रियाशील औद्योगिक इकाईयाँ।	17.5%
2.	ग्रामवासी जिनकी भूमि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर नौएडा के सुनियोजित विकास के लिये अधिग्रहित की गयी है।	17.5%
3.	ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित वाणिज्यिक भूखण्डों /दुकानों एवं संस्थागत भूखण्डों पर क्रियाशील वाणिज्यिक एवं संस्थागत इकाईयाँ।	10%
4.	ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नियमित कर्मचारी/अधिकारी।	5%
	कुल योग	50%

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखण्डों पर क्रियाशील इकाईयाँ, ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित क्रियाशील वाणिज्यिक एवं संस्थागत इकाईयाँ, ग्रामवासी जिनकी भूमि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर नौएडा के विकास लिये अधिग्रहित की गयी है तथा ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नियमित कर्मचारी/अधिकारी श्रेणियों में 18% भूखण्ड इन्ही श्रेणियों अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को उपरोक्त श्रेणी में आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या किसी श्रेणी में आरक्षित भूखण्डों की संख्या से कम है तो अवशेष भूखण्डों के समय सामान्य श्रेणी के आवेदकों को स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे। यदि किसी श्रेणी विशेष में एस.सी./एस.टी. आवेदकों की संख्या उपलब्ध प्लैटों की संख्या से कम है तो सर्वप्रथम ऐसे अवशेष प्लैट श्रेणी विशेष के सामान्य आवेदकों को स्थानान्तरित किए जायेंगे एवम उसके पश्चात भी यदि आवेदकों की संख्या उपलब्ध प्लैटों से कम है तो ऐसे अवशेष प्लैटों को मुख्य सामान्य श्रेणी में अन्तर्गत कर दिया जाएगा।

ग्राह्यता

बी-1 सामान्य श्रेणी

1. आवेदक भारतीय नागरिक हो तथा अनुबंध के लिए सक्षम हो तथा उसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो।
2. इस श्रेणी में आवेदक अथवा उसके पत्नी/पति के नाम, अथवा आश्रित बच्चों के नाम में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कोई भी आव भूखण्ड अथवा रिहायशी प्लैट पट्टाधिकार पर अथवा फ्री-होल्ड आधार पर अथवा एच.पी.टी.ए. (हायर पर्वेज टीनेसी एग्रीमेन्ट) लाइसेंस तहत ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किसी पूर्व योजना में आवंटित न किया गया हो।
3. अर्ह आवेदक, उनके पति/पत्नी अथवा आश्रित केवल एक प्लैट हेतु आवेदन कर सकते हैं।

निर्दिष्ट आरक्षित श्रेणियों की पात्रता

- (ग) आवेदक अनुबन्ध करने हेतु सक्षम हो एवं उसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो।
- (घ) केवल ऐसे आवेदक/औद्योगिक इकाईयां/व्यावसायिक एवं संस्थागत प्रतिष्ठान/संस्थान अथवा उनके प्रबन्ध निदेशक/पूर्ण कालीन निदेशक/भागीदार/एकल स्वामी/ट्रस्टी/ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के लिये अधिग्रहित की गयी भूमि के खातेदार/सह-खातेदार श्रेणी के आवेदक आवेदन हेतु पात्र होंगे जिनको प्राधिकरण की किसी भी पूर्व योजना में आवासीय भूखण्ड/फ्लैट प्राधिकरण द्वारा आवंटित न किया हो।

निर्दिष्ट श्रेणियों पर लागू अर्हता की विशेष शर्तें—

औद्योगिक इकाईयाँ

1 निम्न शर्तों को पूर्ण करने वाली वास्तविक औद्योगिक इकाईयाँ अर्ह होंगी—

- (i) ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 14.01.2011 तक आवंटित/अंतरित औद्योगिक भूखण्ड, जिसने योजना के बंद होने की तिथि से पूर्व उद्योग स्थापित कर इकाई को क्रियाशील कर लिया हो। आवेदक को प्राधिकरण द्वारा निर्गत इकाई का क्रियाशीलता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
- (ii) इकाई ने औद्योगिक परिसम्पत्ति के सापेक्ष दिनांक 14.01.2011 तक देय प्राधिकरण की बकाया समस्त देयताओं (भू-भाटक, प्रीमियम, ब्याज इत्यादि सहित) का भुगतान योजना की आवेदन की अंतिम तिथि तक कर दिया हो। आवेदक को प्राधिकरण द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी अनिवार्य है।

2 यदि आवेदन औद्योगिक इकाई के एकल स्वामी/साझेदार/प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालीन निदेशक द्वारा किया जाता है तो निम्न शर्तें पूर्ण करनी होंगी:—

- (i) आवेदक दिनांक 14.01.2011 को औद्योगिक इकाई में प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालिक निदेशक/साझेदार/एकल स्वामी होना चाहिये।
- (ii) नामित (नोमिनेटड) निदेशक आवंटन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- (iii) औद्योगिक इकाई के आवेदक को उपरोक्त 1 पर वर्णित सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा है।
- (iv) औद्योगिक इकाई अथवा उनके अर्ह प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालीन निदेशक/भागीदार/एकल स्वामी केवल एक आवासीय फ्लैट आवंटन हेतु पात्र होंगे। यदि इकाई के पास एक से अधिक औद्योगिक परिसर है तो भी उपरोक्तानुसार पात्रता केवल एक ही आवासीय फ्लैट के आवंटन हेतु होगी। यदि किसी निदेशक ने अपनी 'क' इकाई के विरुद्ध कोई आवासीय भूखण्ड/फ्लैट प्राप्त कर लिया है तथा वह 'ख' इकाई का भी निदेशक है तो वह "ख" इकाई के सापेक्ष आवंटन हेतु पात्र नहीं होगा। "ख" इकाई के अवशेष निदेशकों में से कोई एक निदेशक नियमानुसार आवेदन हेतु अर्ह होगा।
- (v) आवेदक कम्पनी को इस आशय का रेज़ोल्यूशन देना होगा कि कम्पनी स्वयं के नाम में अथवा अपने एकल स्वामी/साझेदार/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक के नाम में आवेदन कर रही है तथा कम्पनी के आवेदन पत्र भरने एवं हस्ताक्षर करने हेतु (नाम, पदनाम) अधिकृत किया है।
- (vi) ऐसे आवेदक सफल होने पर आवंटित फ्लैट 5 वर्ष तक हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

अर्ह क्रियाशील वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

- (i) वाणिज्यिक प्रतिष्ठान द्वारा वाणिज्यिक भूखण्ड/दुकान/कार्यालय स्थल का पट्टा प्रलेख निष्पादन के उपरान्त दिनांक 14.01.2011 तक वाणिज्यिक परिसम्पत्ति का कब्जा ग्रहण कर लिया हो तथा प्रतिष्ठान को प्राधिकरण के वाणिज्यिक विभाग द्वारा योजना समाप्त होने की अंतिम तिथि तक कार्यशील घोषित कर दिया गया हो। प्राधिकरण द्वारा निर्गत क्रियाशीलता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (ii) वाणिज्यिक प्रतिष्ठान द्वारा दिनांक 14.01.2011 तक देय प्राधिकरण की देय धनराशियों (प्रीमियम, ब्याज, भू भाटक इत्यादि) का भुगतान कर दिया हो। प्राधिकरण द्वारा जारी अदेयता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (iii) वाणिज्यिक परिसम्पत्ति के क्रियाशील उप-पट्टाधारक जिन्होंने व्यवसायिक भूखण्ड के पट्टाधारक से दिनांक 14.01.2010 तक प्राधिकरण की माध्यम से उप-पट्टाधारक अधिकार तथा योजना समाप्त होने की अन्तिम तिथि तक प्राधिकरण द्वारा त्रिपक्षीय उप-पट्टा प्रलेख निष्पादन कर लिया गया हो, आवेदन हेतु पात्र होंगे। आवेदक ने अपने प्रतिष्ठान को क्रियाशील कर क्रियाशीलता प्रमाण पत्र प्राधिकरण से लिया हो। आवेदन के साथ क्रियाशील प्रमाण पत्र/अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।



- (iv) यदि आवेदन वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के एकल स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/पूर्ण कालिक निदेशक के नाम में किया जाता है तो स्वामी/साझेदार/निदेशक का नाम प्राधिकरण के वाणिज्यिक अनुभाग में दर्ज होना आवश्यक है।
- (v) ऐसी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/उनके स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक जिनके पक्ष में वाणिज्यिक भूखण्ड/दुकान/कार्यालय स्थल का अंतरण किया गया हो, आवेदन हेतु अनर्ह होंगे, यदि वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के पक्ष में पूर्व में ही आवेदीय फ्लैट/भूखण्ड प्राप्त किया जा चुका हो।
- (vi) वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अथवा उनके एकल स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/पूर्ण कालिक निदेशक एक ही आवेदीय फ्लैट के आवेदन पत्र होंगे।
- (vii) आवेदक कम्पनी को इस आशय का रेजोल्यूशन देना होगा कि कम्पनी स्वयं के नाम में अथवा अपने एकल स्वामी/साझेदार/निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक के नाम में आवेदन कर रही है तथा कम्पनी के आवेदन पत्र भरने एवं हस्ताक्षर करने हेतु (नाम, पदनाम) अधिकृत किया है।
- (viii) क्योरक एवं आई.टी. के आवंटी इस योजना में आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- (ix) ऐसे आवेदक सफल होने पर आवंटित फ्लैट 5 वर्ष तक हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

बी-5 अर्ह वैध क्रियाशील संस्थान

योजना समाप्त होने की अंतिम तिथि तक निम्न शर्तों को पूर्ण करने वाली संस्थायें आवेदन हेतु पात्र होंगी -

- (i) संस्थान द्वारा दिनांक 14.01.2011 तक पट्टा प्रलेख निष्पादन के उपरान्त कब्जा ग्रहण कर लिया हो तथा योजना समाप्त होने की अंतिम तिथि तक संस्थान को प्राधिकरण द्वारा क्रियाशील घोषित किया जा चुका हो। प्राधिकरण के संस्थागत अनुभाग द्वारा जारी क्रियाशीलता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।
- (ii) संस्थान द्वारा दिनांक 14.01.2011 तक प्राधिकरण की अवशेष देयताओं (प्रीमियम, भू भाटक एवं ब्याज सहित) का भुगतान योजना की अंतिम तिथि तक कर दिया हो। संस्थागत को प्राधिकरण द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
- (iii) यदि आवेदन संस्थान के निदेशक/ट्रस्टी/कार्यकारी सदस्य के नाम से किया जाता है तो उनका नाम प्राधिकरण के संस्थागत विभाग के रिकार्ड में योजना की अंतिम तिथि तक दर्ज कर लिया गया हो।
- (iv) यदि शैक्षणिक संस्था के पक्ष में आवेदन किया जाता है तो उनके निदेशक/ट्रस्टी/कार्यकारी सदस्य का नाम प्राधिकरण के संस्थागत विभाग के रिकार्ड में योजना समाप्त होने की अंतिम तिथि तक दर्ज होना अनिवार्य होगा।
- (v) ऐसे संस्थान/उनके निदेशक/ट्रस्टी/कार्यकारी सदस्य भूखण्ड हेतु पात्र नहीं होंगे, जिन्हें संस्थागत भूखण्ड अपने पक्ष में अंतरित कराया गया हो तथा जिन्हें पूर्व में आवेदीय भूखण्ड/फ्लैट आवंटित हो चुका हो।
- (vi) यदि संस्थान के पास एक से अधिक परिसम्पत्तियां हैं तो उनकी पात्रता एक ही आवेदीय भूखण्ड/फ्लैट की होगी चाहे संस्थान के भाग में या संस्थान के वैध निदेशक/ट्रस्टी/कार्यकारी सदस्य के नाम हों।
- (vii) चैरिटेबल एवं धार्मिक संस्थान तथा इनके ट्रस्टी/निदेशक/सदस्य आदि आवंटन हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- (viii) आवेदक कम्पनी को इस आशय का रेजोल्यूशन देना होगा कि कम्पनी स्वयं के नाम में अथवा अपने एकल स्वामी/ट्रस्टी/कार्यकारी सदस्य के नाम में आवेदन कर रही है तथा कम्पनी के आवेदन पत्र भरने एवं हस्ताक्षर करने हेतु (नाम, पदनाम) अधिकृत किया है।
- (ix) ऐसे आवेदक सफल होने पर आवंटित फ्लैट 5 वर्ष तक हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

बी-6 अर्ह ग्रामवासी जिनकी भूमि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित/क्रय की गयी हो

ऐसे कृषक ही आवंटन हेतु अर्ह होंगे जिनकी भूमि ग्रेटर नौएडा के विकास के लिए 01.04.2002 को अथवा इसके बाद में अर्जित/क्रय की गयी हो तथा उस पर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।

इस श्रेणी के आवेदकों हेतु विस्तृत शर्तें निम्न प्रकार हैं-

1. ऐसे ग्रामवासी जिनकी भूमि ग्रेटर नौएडा के सुनियोजित औद्योगिक विकास के लिए 01.04.2002 को अथवा इसके पश्चात् अर्जित/क्रय की गयी हो तथा उस पर कब्जा प्राप्त कर लिया गया हो। (तहसीलदार ग्रेटर नौएडा द्वारा सत्यापित/प्रमाणित प्रतिभू-पत्र -1, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप (अप्टरटेकिंग-1) के अनुसार जो कि आवेदन फार्म के साथ संलग्न है, देना होगा।)

गा. गृ. स्वामी, अथवा उसके पति/पत्नी/आश्रित बच्चों को प्राधिकरण की किसी योजना में पूर्व में ही फ्लैट/भूखण्ड आवंटित हुआ है तो वह इस आरक्षण योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।

गा. किसी खाते में एक से अधिक सह-खातेदार हैं। ऐसी दशा में समस्त सह-खातेदार योजना में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। इन समस्त सह-खातेदारों के मध्य ड्रा करके एक सफल सह-खातेदार का चयन किया जायेगा एवं उसी सफल सहखातेदार को योजना के ड्रा ऑफ लॉट्स में सम्मिलित किया जायेगा।

गा. गैर-उन्हीं कृषकों को आरक्षण की यह सुविधा अनुमन्य होगी जो ग्रेटर नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के मूल निवासी हों तथा जिन्हें प्रति कर भुगतान के समय **Rehabilitation Bonus** के रूप में उन्हें 15 प्रतिशत का अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।

गा. इस आरक्षण के अन्तर्गत आवंटित फ्लैटों का हस्तान्तरण आवंटन की तिथि से पांच वर्ष तक अनुमन्य नहीं होगा।

गा. अधिग्रहित अथवा क्रय की गयी भूमि, जिसके सापेक्ष आवेदन किया गया है, पर अथवा उसके अलावा भी प्राधिकरण की अन्य किसी भी अधिग्रहीत/क्रय की गई भूमि पर भी कोई अनाधिकृत/अवैध कब्जा न किया गया हो। इस आशय का शपथ-पत्र (प्रारूप-2 पर) उप महा प्रबन्धक (परियोजना) द्वारा सत्यापित/प्रमाणित हो, प्रस्तुत करना होगा।

गा. आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रतिकरण बिना किसी आपत्ति/विवाद के करार/सहमति के आधार पर प्राप्त कर लिया गया हो। आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत फार्म-11 सी की सत्यापित प्रस्तुत की जानी होगी।

गा. सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि अधिग्रहित भूमि पर अतिक्रमण है अथवा सम्पूर्ण प्रतिकर प्राप्त नहीं किया है/कब्जा नहीं दिया गया है तो ऐसी स्थिति में आवेदन निरस्त कर पंजीयन धन राशि प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।

7. ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नियमित कर्मचारी

- (1) इस योजना में प्राधिकरण के अर्ह कर्मचारी से अभिप्राय योजना की अंतिम तिथि तक ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नियमित कार्यरत कर्मचारियों से है। इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अर्हता प्रमाण-पत्र आवेदक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी आवंटन हेतु पात्र नहीं होंगे।

यदि आवेदक को फ्लैट आवंटित किया जाता है तो प्राधिकरण के स्टाफ फ्लैट का अध्यासी है तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी आवास को खाली करना होगा। विलम्ब होने की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निर्धारित बाजार दर पर किराया/दण्ड देय होगा।

इस श्रेणी में आवंटित फ्लैटों को आवंटन की तिथि से 10 वर्षों तक अन्तरित करने की अनुमति नहीं होगी।

गा. उपरोक्त आरक्षित समस्त क्षेत्रों (औद्योगिक, कृषक, वाणिज्यिक, संस्थागत एवं ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण कर्मचारी) में से 18 प्रतिशत फ्लैट विहित आरक्षित वर्ग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे। इस वर्ग के आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा उन्हें अन्यथा आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

8. आवंटन की प्रक्रिया :

प्रत्येक अर्ह श्रेणी के फ्लैटों का आवंटन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। विशिष्ट फ्लैट संख्याओं का एलोकेशन भी आवंटन ड्रा के साथ ही किया जायेगा।

9. आवेदन कैसे करें

आवेदन प्रपत्र रु. 250/- के भुगतान के साथ निम्नलिखित किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं। डाक द्वारा आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने हेतु रु. 300/- का ड्राफ्ट वरिष्ठ प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, गामा शापिंग काम्प्लेक्स, सेक्टर-गामा, ग्रेटर नौएडा सिटी पिन कोड-201308 को प्रेषित कर प्राप्त किये जा सकते हैं। इन प्रपत्रों में रु. 50/- के अतिरिक्त धनराशि पंजीयन धनराशि के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की वेबसाइट www.greaternoidaauthority.in से भी download किए जा सकते हैं। इस स्थिति में रु. 250/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट ब्रोशर के मूल्य के लिए पृथक से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

विधिवत भरे हुए तथा आवश्यक संलग्नकों सहित हस्ताक्षरित आवेदन पत्र आपेक्षित पंजीयन राशि सहित निम्नलिखित किसी भी बैंक की शाखा में सभी श्रेणी के आवेदकों द्वारा 15.02.2011 तक जमा कराने होंगे।

आवेदक अपनी अर्हता अनुसार आवेदन-पत्र के साथ पंजीयन धनराशि 'ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण' के नाम से बैंक ड्राफ्ट/पेय ऑर्डर जिसकी देयता नई दिल्ली/नौएडा/ग्रेटर नौएडा पर होगी। आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर निम्नलिखित बैंक की शाखाओं में जमा करेंगे। आवेदन पत्रों की अधिकृत पावती/रसीद संबंधित बैंक द्वारा जारी की जायेगी।



डी-1. सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित बैंक शाखायें :

क्र.सं.	बैंक कोड	बैंक का नाम व पता
1.	01	बैंक ऑफ बड़ौदा, सेक्टर-गामा-2, ग्रेटर नौएडा।
2.	02	देना बैंक, के.पी.-1, कैलाश हॉस्पिटल के पास, ग्रेटर नौएडा।
3.	03	केनरा बैंक, गामा शॉपिंग माल, ग्रेटर नौएडा।
4.	04	एच.डी.एफ.सी. बैंक, सेक्टर-अल्फा व्यवसायिक क्षेत्र, ग्रेटर नौएडा।
5.	05	इण्डियन बैंक, एस-7, गामा शॉपिंग मॉल, ग्रेटर नौएडा।
6.	06	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, संजय नगर, सेक्टर-23, गाज़ियाबाद।
7.	07	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, जगत फार्म, ग्रेटर नौएडा।
8.	08	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, के.पी.-1 निकट कैलाश अस्पताल, ग्रेटर नौएडा।
9.	09	स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर, सेक्टर-18, नौएडा।
10.	10	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, सी-56, ए/28, सेक्टर-62, नौएडा।
11.	11	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, ओम टॉवर, अल्फा व्यवसायिक क्षेत्र, ग्रेटर नौएडा।
12.	12	विजया बैंक, सेक्टर-19, नौएडा।
13.	13	पंजाब नेशनल बैंक, सेक्टर-अल्फा-2, ग्रेटर नौएडा।

डी-2 किसानों के लिए निर्धारित बैंक शाखा

क्र.सं.	बैंक कोड	बैंक का नाम
1.	01	विजया बैंक, जगत फार्म, गामा-1, ग्रेटर नौएडा

डी-3 संस्थागत, औद्योगिक, वाणिज्यिक के आवंटियों एवं प्राधिकरण कर्मियों के लिए निर्धारित बैंक शाखा

क्र.सं.	बैंक कोड	बैंक का नाम
1.	01	एच.डी.एफ.सी. बैंक सेक्टर-अल्फा व्यवसायिक क्षेत्र, ग्रेटर नौएडा

ई. भुगतान योजना :

ई-1. नकद भुगतान योजना (भुगतान कोड ई-1)

इस भुगतान योजना के अन्तर्गत अवशेष धनराशि का भुगतान पंजीकरण राशि समायोजित किये जाने के उपरांत, आवंटन तिथि से 90 दिन के भीतर जमा कराया जाना होगा। इस भुगतान योजना के आवेदकों की भुगतान योजना परिवर्तित नहीं की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों को शेष देय धनराशि पर 2 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

ई-2. ब्याज सहित बीस वर्षीय किश्त योजना (भुगतान कोड ई-2)

इस योजना में, फ्लैट की कुल राशि का 30 प्रतिशत धनराशि (पंजीयन राशि समायोजन के उपरान्त) आवंटन तिथि से 45 दिन के अन्दर देय आवेदन राशि के रूप में देय होगा। शेष 70 प्रतिशत धनराशि 40 छः माही बराबर (08 प्रतिशत ब्याज सहित रिड्यूसिंग पेमेंट प्लान छःमाही) किश्तों में देय होगा। किश्तों की गणना आवंटन तिथि के 46वें दिन से की जायेगी।

नोट:- 1. इस प्रपत्र के सन्दर्भ में आवंटन पत्र जारी होने की तिथि को आवंटन तिथि माना जायेगा।

2. इस प्रपत्र के संदर्भ में लीज डीड निष्पादन की तिथि को ही कब्जा प्राप्त करने की तिथि माना जायेगा।

जमा राशि को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/प्रेषणादेश, जो नई दिल्ली/नोएडा/ग्रेटर नोएडा में भुगतान किया जा सकता है। इस कार्य के लिए आवंटन पत्र में वर्णित अधिकृत बैंक शाखाओं द्वारा भुगतान सीधे ही स्वीकार

किया जाएगा। यदि भुगतान विरंतरण अनुमत्य नहीं होगा। यदि प्राधिकरण को देय राशि का भुगतान, निर्धारित समयावधि में नहीं किया गया तो अतिरिक्त ब्याज के लिए समय विस्तारण विशेष परिस्थितियों के तहत अधिकतम 3 महीनों के लिए इस शर्त के साथ अनुमत्य होगा। भुगतान के दौरान ऐसे विस्तारण 3 से अधिक नहीं होंगे। विस्तारण की दशा में 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जिसका ऑकलन भुगतान के आधार पर किया जाएगा, की दर से बकाया धनराशि पर देय होगा।

भुगतान के लिए जमा की गयी धनराशि सर्वप्रथम देय ब्याज समायोजित की जायेगी तदोपरान्त शेष धनराशि देय किश्त में व देय किश्त की जायेगी।

असफल कब्जा दिये जाते समय कुछ भिन्न हो सकता है। ऐसी दशा में फ्लैट का कुल मूल्य उसी अनुपात में परिवर्तित होगा। भुगतान के लिए समय विस्तारण विशेष परिस्थितियों के तहत अधिकतम 3 महीनों के लिए इस शर्त के साथ अनुमत्य होगा। भुगतान के दौरान ऐसे विस्तारण 3 से अधिक नहीं होंगे। विस्तारण की दशा में 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जिसका ऑकलन भुगतान के आधार पर किया जाएगा, की दर से बकाया धनराशि पर देय होगा।

भुगतान पर:

भुगतान के आधार पर 90 वर्ष के पट्टे पर जिनकी अवधि पट्टा प्रलेख की निर्धारित तिथि से प्रारंभ कर स्वीकार किये जायेंगे।

पंजीयन राशि, जिन्हें भवन आवंटित नहीं हो सके हैं और यदि राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए प्राधिकरण के पास जमा रही है वह लौटा दी जायेगी यदि जमा राशि की अवधि एक वर्ष से अधिक है तो उस पर 4 प्रतिशत की दर से जमा की सम्पूर्ण अवधि के लिए ब्याज देया जायेगा।

भुगतान की पूर्ण समर्पण की स्थिति में जमा सम्पूर्ण पंजीयन राशि बिना ब्याज की लौटा दी जायेगी।

भुगतान के उपरान्त 30 दिन के भीतर आवंटन समर्पण करने पर पंजीयन राशि का 10 प्रतिशत भाग जब्त कर लिया जाएगा और शेष राशि बिना ब्याज लौटा दी जायेगी।

भुगतान के पश्चात किश्तों पर आधारित योजना में 30 दिन के बाद परन्तु 45 दिन के पहले तथा नकद भुगतान योजना में 30 दिन के बाद परन्तु 60 दिन के अन्दर आवंटन समर्पण किया जाता है तो पंजीयन राशि की 50 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी, शेष राशि बिना ब्याज लौटा दी जायेगी। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा पृथक से सूचित नहीं किया जायेगा।

यदि कोई आवंटी नकद भुगतान योजना में 90 दिन के बाद तथा किश्तों पर आधारित योजना में 45 दिन के बाद परन्तु आवंटन के 6 महीने के पहले समर्पण करता है तो फ्लैट की कुल कीमत का 10 प्रतिशत काट लिया जायेगा। कटौती के पश्चात शेष राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी। इसके लिए कोई पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।

आवंटी द्वारा आवंटन के छः माह के उपरान्त समर्पण करने पर समस्त जमाराशि जब्त कर ली जायेगी।

यदि आवंटी निर्धारित समय में देय राशि जमा करने में असफल रहता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार से निरस्त किये गये भूखण्ड के लिए निरस्तीकरण की दिनांक तक जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

उपरोक्त मामलों में समर्पण की तिथि वह मानी जायेगी जिस दिन प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन प्राप्त होगा। आवंटी को समर्पण आवेदन पत्र के साथ आवंटन पत्र की मूल प्रति, पंजीकरण पावती संलग्न करना आवश्यक है। डाक प्रमाण पत्र के आधार पर कोई पूर्ववर्ती दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।



के. निरस्तीकरण :

निरस्तीकरण के अन्य उल्लिखित प्रस्तरों के अतिरिक्त, प्राधिकरण/पट्टादाता अधोलिखित स्थितियों में पट्टा प्रलेख/आवंटन को निरस्त करने हेतु अपने अधिकारों का उपयोग करने में स्वतंत्र होगा।

1. गलत विवरण अथवा वस्तुपरक तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन प्राप्त करने पर।
2. प्राधिकरण अथवा अन्य विधिक निकाय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें अथवा उसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन करने पर।
3. आवेदक/आवंटी पट्टाधारक द्वारा पंजीकरण/आवंटन/पट्टे की नियम व शर्तों के तोड़ने/उल्लंघन करने और/अथवा आवंटन राशि जमा न करने पर।

उपरोक्त के उप प्रस्तर (1, 2 व 3) के अन्तर्गत, निरस्तीकरण की दशा में, निरस्तीकरण की तिथि तक जमा समस्त राशि जब्त कर ली जायेगी और भूखण्ड मय ढांचे के, यदि कोई है तो, प्राधिकरण/पट्टादाता द्वारा कब्जे में ले ली जायेगी और आवंटी/पट्टाधारक को इसकी प्रतिपूर्ति माँगने का कोई अधिकार नहीं होगा।

एल. पट्टा अवधि एवं पट्टा किराया :

पलैट का आवंटन प्रत्येक आवंटी को 90 वर्ष के पट्टाधिकारी पर दिया जायेगा और पट्टा किराया, कब्जा लेने से पूर्व भूखण्ड के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत एकमुस्त देय होगा। यदि आवेदक वार्षिक भू-भाटक देना चाहता है तो उसे कुल भूखण्ड के मूल्य का एक प्रतिशत वार्षिक अग्रिम के रूप में पट्टा प्रलेख निष्पादन की तिथि से देय होगा। वार्षिक भू-भाटक 10 वर्ष बाद 50 प्रतिशत बढ़ा दिया जायेगा।

एम. एग्रीमेंट टू लीज का निष्पादन :

अधिसूचना संख्या 3066/11-5-2009-500(100)/2008 दिनांक 12 जून 2009 में वर्णित प्राविधान के क्रम में आवंटी को आवंटन के छः माह के भीतर एग्रीमेंट टू लीज निष्पादित करा कर सब रजिस्ट्रार गौतम बुद्ध नगर कार्यालय में निबंधित करना होगा। इस अवधि में आवंटी द्वारा निष्पादित कराये जाने वाली लीजडीड पर आवंटन दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। इस अवधि के पश्चात् लीजडीड के निष्पादन के समय उन्हें जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित सर्किल दर पर स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। अधिसूचना की प्रति प्राधिकरण की वेबसाइट पर अवलोकनीय है।

एन. पट्टा दस्तावेज तथा कब्जे का निष्पादन :

आवंटी को कब्जा लेने की सूचना प्रेषित करने के एक वर्ष के भीतर कानूनी दस्तावेज/पट्टा प्रलेख निष्पादित कराना अनिवार्य होगा। ऐसा करने में असफल रहने पर आवंटी को 1 प्रतिशत की दर पर प्रशासनिक शुल्क का भुगतान भी करना होगा, जिसमें कानूनी दस्तावेज के निष्पादन के लिए सूचित चेक लिस्ट/सूचना जारी करने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की समय बढ़ोत्तरी दी जा सकेगी। इस विस्तारित समय के बाद भी यदि आवंटी कानूनी दस्तावेज के निष्पादन में असमर्थ रहता है तो आवंटन निरस्त किये जाने तथा जमा राशि जब्त किये जाने के संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

आवंटित पलैट का कब्जा आवंटन-पत्र निर्गत करने के दो से तीन वर्षों के भीतर आवंटी को आफर कर दिया जाना सम्भावित है।

ओ. दस्तावेजी प्रभार :

कानूनी दस्तावेज तैयार करने, उस पर टिकट लगाने तथा उसे पंजीकृत कराने संबंधी समस्त शुल्क और उसकी प्रतियाँ बनवाने तथा उससे संबंधित समस्त आकस्मिक खर्चों का वहन आवंटी को ही करना होगा। आवंटी को अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी, जो इसके लिए अधिकृत किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाई जायेगी अथवा कोई अन्य शुल्क अथवा प्रभार का भुगतान भी करना होगा।

पी. गिरवी रखना :

1. आवंटी/पट्टाधारक, प्राधिकरण/पट्टादाता की पूर्व सहमति लेकर भूखण्ड/पलैट की लीज डीड निष्पादन/पंजीकरण के पश्चात् किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण आहरण हेतु पलैट गिरवी रख सकता है और पट्टादाता द्वारा ऐसी अभिस्वीकृति देते समय लगायी गयी नियम व शर्तें आवंटी को मान्य होंगी व उनका अनुपालन करना होगा। इसके साथ ही रेहन/गिरवी रखी सम्पत्ति के विक्रय अथवा मोचन निषेध होने पर, पट्टादाता को अधिकार होगा कि भूखण्ड/पलैट की अनर्जित बढ़ी कीमत का प्रतिशत जो पट्टादाता द्वारा निर्धारित की जाती है, को प्रथम धारक के रूप में वसूल लें व अन्य रेहन अधिकारों से प्राथमिक अधिकार होगा। भूखण्ड/पलैट के बाजार मूल्य निर्धारण में पट्टादाता का निर्णय अन्तिम होगा व सभी संबंधित पक्ष को बाध्य होगा, इसके साथ ही पट्टादाता को रेहन/गिरवी रखी सम्पत्ति से पूर्व वर्णित अनर्जित बढ़ोत्तरी को उस प्रतिशत को कम कर पूर्वक्रय का अधिकार होगा। पट्टादाता यहां वर्णित अनर्जित बढ़ोत्तरी व सम्पत्ति के पूर्वक्रय का अधिकार अनच्छित विक्रय एवं हस्तांतरण के समय भी बराबर से मान्य होंगे चाहे वह न्यायालय/दिवालियेपन की आज्ञाप्ति के अनुपालन के साथ अथवा द्वारा हों।

2. आवंटी द्वारा प्लैट में कोई तकनीकी परिवर्तन अनुमत्त नहीं होगा।
3. परिवर्तन की दशा में खामी होने पर प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। पूर्ण नुकसान की वसूली आवंटी से की जायेगी।

प्लैट का हस्तांतरण :

यू-1 कानूनी उत्तराधिकारी (आवंटी की मृत्यु होने पर) :

अपने (महिला/पुरुष) कानूनी उत्तराधिकारी को प्लैट के हस्तान्तरण की अनुमति मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा पट्टा प्रलेख निष्पादन एवं निर्धारित शर्तों के पूर्ण होने पर दी जायेगी।

यू-2 अन्य प्रकरणों में:

किसी अन्य को प्लैट के हस्तांतरण की अनुमति मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा पट्टा प्रलेख निष्पादन के पश्चात् दी जा सकेगी। भूखण्ड के इस प्रकार के हस्तान्तरण के लिए आवंटी को निर्धारित हस्तान्तरण शुल्क देना होगा तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निर्धारित सभी कानूनी शर्तों को पूरा करना होगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी अभ्यर्थना स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होगा।

दुरुपयोग, अतिरिक्त निर्माण, परिवर्तन इत्यादि :

प्लैट का प्रयोग रिहायश के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। आवंटी को परिसर उपविभाजित करने अथवा किसी अन्य परिसर के साथ मिलाने अथवा उस पर कोई अतिरिक्त ढांचा खड़ा करने अथवा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं होगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और परिसर का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापस ले लिया जाएगा।

करों के भुगतान का दायित्व :

आवंटी/पट्टाधिकारी को भूमि के आवंटन के संबंध में इस आशय के लिए प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा लगाये गये प्रत्येक विवरणका कर निर्धारण, करों तथा प्रभारों की सभी दरों का भुगतान स्वयं कराना होगा भले ही वे प्रभार भूखण्ड अथवा उस पर निर्मित किसी प्लैट के संबंध में लगाये गये हों।

भूगर्भ सम्पत्तियों के नियमन हेतु :

प्राधिकरण का आवंटित आवासीय भूखण्डों के अन्तर्गत और उसके बाहर सभी खानों, कोयला, खनिजों, प्रक्षोलन, स्वर्ण, मिट्टी का तेल, खदानों पर अधिकार होगा और इस संबंध में उस समय कोई भी कार्य करने का पूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व प्राधिकरण के पास सुरक्षित है और ऐसा कोई ठोस काम करने का भी प्राधिकरण को अधिकार होगा जो इस कार्य हेतु किसी चीज का तलाश करने, उसे प्राप्त करने और वहां से हटाने के लिए वे आवश्यक सामग्री ले। आवासीय भूखण्ड के तल पर किसी वर्टिकल सपोर्ट अथवा उस पर कुछ समय के लिए निर्मित किसी भी प्लैट के संबंध में उक्त कार्यवाही करने का उन्हें पूर्ण अधिकार होगा। किन्तु इसके लिए प्राधिकरण इस आशय के अधिकारों का प्रयोग करते समय उससे उत्पन्न सभी प्रकार की क्षतियों का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से आवंटी/पट्टाधिकारी को करेगा। समुचित क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा और यह निर्णय आवंटी/पट्टाधिकारी को भी मान्य होगा।

अनुरक्षण :

1. आवंटी पानी, सीवर व विद्युत कनेक्शन अपने व्यय पर प्राधिकरण/संबंधित विभाग से प्राप्त करेगा।
2. आवंटी आवंटित प्लैट तथा उसके परिवेश एवं सभी सुविधाओं को साफ-सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा। यदि आवंटित प्लैट ऐसे परिसर में है जहां अन्य प्लैट भी निर्मित हैं तो आवंटी अन्य आवंटियों के साथ अनुरक्षण अभिकरण की संरचना करेगा जो पूर्ण परिसर को साफ-सुथरा एवं अच्छी स्थिति में अनुरक्षण सुनिश्चित करेगा।
3. आवंटी को प्लैट, भूखण्ड तथा सनिकट क्षेत्र के अनुरक्षण के संबंध में जारी प्राधिकरण के निर्देशों एवं साथ-साथ इस संबंध में नगरीय सेवाओं के प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
4. प्राधिकरण की नियम व शर्तों के अनुपालन न होने पर प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह जैसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा न्यायसंगत तथा उचित समझा जाये वैसी दण्ड लगा सके।
5. यदि प्राधिकरण के अनुसार किसी क्षेत्र का उचित अनुरक्षण नहीं है उस दशा में प्राधिकरण उचित अनुरक्षण करवाकर जो भी व्यय होगा, आवंटी से



संयुक्त रूप में तथा / अथवा पृथक-पृथक रूप में वसूल करेगा। अनुरक्षण तथा / अथवा ठीक करने पर व्यय के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

6. पट्टाधारक ऐसे पोस्टरों, संविधि व अन्य वस्तु का प्रदर्शन नहीं करेगा जो नैतिकता के प्रतिकूल अथवा अनैतिक एवं अशिष्ट हो।
7. पट्टादाता द्वारा ऐसी विशिष्ट अनुमोदित स्थलों अथवा निर्माण की गयी दुकान के सतह को छोड़कर पट्टाधारक दुकान के दीवार के बाहरी सतह पर कोई विज्ञापन अथवा प्लेकार्ड का प्रदर्शन नहीं करेगा।
8. समुचित अनुरक्षण एवं सुरक्षा हेतु ब्लाक / सैक्टर समूह के आवंटियों को एन.एम.सी. गठित करनी होगी।

यू. अन्य अनुच्छेद :

- यू-1 मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि उसके द्वारा न्यायसंगत तथा उचित समझे जाने पर समय-समय पर आवंटन की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन का निर्णय ले सकें।
- यू-2 इन नियम व शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और आवेदकों के लिए बाध्य होगा।
- यू-3 किसी दैवीय आपदा अथवा प्राधिकरण के नियंत्रण के बाहर किसी भी परिस्थिति के फलस्वरूप प्राधिकरण आवंटन देने अथवा आवंटित भूखण्ड पर कब्जा प्रदान करने में असमर्थ होता है तो सम्पूर्ण पंजीयन राशि अथवा अन्य जमा राशि जो आवंटन की स्थिति पर निर्भर करेगी, 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
- यू-4 सभी विवादों का आवंटन / पट्टे के संबंध में किसी भी विवाद के लिए न्याय का क्षेत्राधिकार सम्बद्ध जिला न्यायालय, जहां सम्पत्ति स्थित है, अथवा उच्च न्यायालय द्वारा नामित न्यायालय का होगा।
- यू-5 आवंटि पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम सन् 1976 (यू.पी. एक्ट नं०-6, 1976) के प्राविधान तथा उसके तहत गठित नियम / विनियम लागू माने जायेंगे।
- यू-6 पलैट का स्वामित्व पति / पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से भी अनुमन्य है।
- यू-7 प्राधिकरण को अदेय सभी धनराशि, एरिया ऑफ लैण्ड रेवेन्यू की तरह वसूल की जायेगी।

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें-

प्रबन्धक

(सम्पत्ति-बी.एच.एस.)

दूरभाष : 0120 - 2326150 - 335, फ़ैक्स नं. : 0120 - 2326542